

पत्रांक: २५।

कार्यालय

/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2021

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 25.01.2021

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी०एक्स-३ दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन की सीमा/परिधि निम्नवत निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उ०प्र०शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी०एक्स-३ दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सी०एक्स-३ दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियों अनिवार्यतः की जाए—

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाए।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेंस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकंन, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क विनिहित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्तें पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्कतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई०एल०आई०/एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-३४/2021 दिनांक 25.01.2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 46 हॉट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें 17-डी० ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० मिर्ची टोला, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शीतल गंज, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मोतीबाग, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, वाल्मीकी बस्ती, पल्लव विहार भूँड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० कैलाशपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, बीसा कालौनी, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, महालक्ष्मी एनकलेव नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ग्राम चॉदपुर रामविहार कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गोकुल धाम नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 29 हॉटस्पार्ट-एन०ए०पी०एस० टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालौनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, पट्टी हरनाम सिंह, वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम घुघंरावली वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम खैरपुर वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम ततारपुर वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम रहमापुर स्यावली वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सहकारी नगर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हैदराबाद, वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, ग्राम डरौरा वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ० बुद्ध गली पैठ कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम बादशाहपुर गढिया वि०ख० व तहसील स्याना, गंडासा फैक्टरी, निकट हापुड स्टैण्ड नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम भैंसरोली नासिरपुर, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम मनिया टीकरी, वि०ख० जहाँगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम इलना, वि०ख० जहाँगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम उमरारा, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, मौ० मुरारी नगर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम रंगपुर वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम चॉदांक, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम मौसमगढ़, वि०ख० तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नसीराबाद पूठी वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बलीपुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम नगला शेखू, वि०ख० व तहसील खुर्जा, औरंगाबाद, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भौंरा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ० गंजसादात, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम बगसरा वि०ख० व तहसील अनूपशहर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 25.01.2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-6188 है, 644 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में हैं। जनपद में 92 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त


अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।